संख्या–178/नौ–1–सिं0(06–बजट/03)/04

प्रेषक,

बी0आर0टम्टा,
अनु सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
लघु सिंचाई वृत्त,
पौड़ी।

सिंचाई विभाग, देहरादून, दिनांक, 17 फरवरी, /2004

विषयः– वित्तीय वर्ष 2003–04 के लिए आयोजनागत मद में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यों हेतु लघु सिंचाई विभाग को चतुर्थ त्रैमास हेतु धनावंटन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव वित्त उत्तरांचल शासन के पत्र सं0–2004/वित्त(नि0)–1/2003 दिनांक 30.06.2003 के सन्दर्भ एवं शासन के पत्र सं0 06/नौ–1–सिं0(बजट)/03 दिनांक 17.04.2003 एवं पत्र सं0–06/नौ–1–सिं0(बजट)/03 दिनांक 30.07.2003, शासनादेश सं0 06/नौ–1–सिं0(बजट)/2003 दिनांक 22.10.2003 एवं शासनादेश सं0 6313/नौ–1–सि (06 बजट/03) दिनांक 19.12.2003 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि संलग्नक–1 में उल्लिखित विवरणानुसार रू0 772.63 (रू0 सात करोड़ बहत्तर लाख त्रेसठ हजार मात्र) की धनराशि जिसमें रू0 711.38 लाख केन्द्रांश एवं रू0 61.25 लाख राज्यांश की धनराशि सम्मिलित है की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

1– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यों के विरुद्ध ही किया जाय, व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है, तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन करने की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

2– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी को तकनीकी स्वीकृति एवं कार्यों के प्रशासन सक्षम अधिकारी से अदक्ष स्वीकृत करा लिया जाय।

3– उक्त व्यय में वित्तीय हस्त पुस्तिका बजट मैनुअल तथा स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्णरूप से पालन किया जाय।

4– जहाँ आवश्यक हो, कार्य आरम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

5– इस धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के आधार पर किया जाय। प्रथम किस्त के द्वारा स्वीकृत धनराशि का 80 प्रतिशत तक उपयोग करने पर ही द्वितीय किस्त की धनराशि का आहरण किया जायेगा, केन्द्रांश के विपरीत आगामी किस्त केन्द्रांश प्राप्त होने के पश्चात ही अवमुक्त की जायेगी।

क्रमशः....2

6– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार, उत्तरांचल एवं शासन और अन्ततः भारत सरकार को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

7– ए0आई0बी0पी0 की योजना के क्रियान्वयन में भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृति एवं निर्गत मानक दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, और अनुमोदित योजनाओं पर ही इस धनराशि का व्यय किया जायेगा।

8– ए0आई0बी0पी0 की योजनाओं का क्रियान्वयन सर्व प्रथम लाभार्थी समूह का गठन कर उनके अंश एकत्र कर एक निधि की स्थापना की जाय जिसमें सिंचाई की दरों का निर्धारण से योजना का रखरखाव लाभार्थी समूह द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा जमा होगी। इस धनराशि से योजना का रखरखाव लाभार्थी समूह द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा पूर्ण होने पर योजनाएं स्थानीय पंचायत अथवा पानी उपभोक्ता समूह को हस्तान्तरित कर दी जायेगी। योजनाएं लाभार्थी की सहमति से क्रियान्वयन की जायेगी।

9– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 के आय व्ययक की अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–00–आयोजनागत–800 अन्य व्यय–01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें (75 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता) 04–त्वरित सिंचाई लाभ योजना–24 वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्रांक 2816/वि0अनु0–3/04 दिनांक 16 फरवरी 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

(बी0आर0टम्टा)
अनु सचिव।

संख्या–178/नौ–1–सिं0(06–बजट/03)/2004तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग उत्तरांचल देहरादून।
2– महालेखाकार उत्तरांचल देहरादून।
3– श्री एम0एल0पन्त अपर सचिव, वित्त, (बजट) अनुभाग।
4– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री।
5– निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री।
6– वित्त अनुभाग–3 उत्तरांचल शासन।
7– समस्त कोषाधिकारी/जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
8– नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
9– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तरांचल, देहरादून।
10– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– गार्ड फाईल।

संलग्न–यथोक्त।

(बी0आर0टम्टा)
अनु सचिव।

शासनादेश सं0–178/नौ–1–सिं0(06–बजट/03)/04 दिनांक 17 फरवरी, 04 का संलग्नक

20/4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
00– 800–अन्य व्यय
01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 75 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता
04–त्वरित सिंचाई लाभ योजना
24–वृहद निर्माण कार्य

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	आवंटन हेतु प्रस्तावित		
		केन्द्रांश	राज्यांश	कुल धनराशि
1	देहरादून	99.59	10.00	109.59
2	टिहरी	65.61	5.01	70.62
3	उत्तरकाशी	63.67	5.00	68.67
4	पौड़ी	115.00	10.00	125.00
5	रूद्रप्रयाग	27.20	2.50	29.70
6	चमोली	109.23	10.00	119.23
7	हरिद्वार	11.74	1.25	12.99
8	नैनीताल	34.37	2.50	36.87
9	अल्मोड़ा	52.23	5.00	57.23
10	पिथौरागढ़	33.09	2.50	35.59
11	बागेश्वर	33.68	2.50	36.18
12	चम्पावत	38.17	2.50	40.67
13	ऊधमसिंह नगर	27.80	2.49	30.29
	योग	711.38	61.25	772.63

(रूपये सात करोड़ बहत्तर लाख त्रेसठ हजार मात्र)

(बी0आर0टम्टा)
अनु सचिव।